

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० 22/08/16 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं०- 13/2016

केश का प्रकार- अधिहरण त्साद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/08/16	पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक- 3584/अप०शा०, दिनांक-29.07.2016 के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा- 7 के अन्तर्गत जब्त किए गए किरासन तेल अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० पूर्ण चन्द्र देवगम, गोमिया थाना के द्वारा गोमिया थाना काण्ड सं०-28/16, दिनांक-28.03.2016, धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त टाटा मैजिक सं०-JH01-BX-3325 जिस पर लदे किरासन तेल से भरा 220 लीटर वाला कुल आठ ड्राम में 200 लीटर भरा हुआ कुल मात्रा 1600 लीटर नीला किरासन तेल का राज्यसात हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जाँच के क्रम में 1600 (एक हजार छः सौ) लीटर ब्लू रंग का किरासन तेल कालाबाजारी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके लिए गाड़ी के मालिक 1. श्री बैद्यनाथ चन्द्र दे 2. रावल कुमार दे एवं 3. अनुज्ञप्ति सं०-2/91 के विक्रेता कलीमउद्दीन के विरुद्ध किरासन तेल कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा-7 के तहत गोमिया थाना काण्ड संख्या-28/16 दिनांक-28.03.2016 दर्ज करते हुए जप्त किरासन तेल को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। जब्त किरासन तेल अधिक मुनाफा कमाने हेतु कालाबाजारी के लिए अवैध रूप से रखा गया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अनुज्ञा एकीकरण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। चूँकि किरासन तेल नाशवान वस्तु है एवं एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहने से सहज ही नष्ट होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) (2) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखे गए जब्त किरासन तेल को नियमानुसार शीघ्र बिक्री करवाने की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे तथा प्राप्त राशि नजारात में जमा रखेंगे। तदनुसार आदेश निर्गत करें।	23/08/16

गोमियां थाना में दर्ज प्राथमिकी धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध दायर किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-27/09/16 को 11.00 बजे पूर्वाह्न स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं अनियमितता के कारण जब किरासन तेल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-6 (ए) के अन्तर्गत अधिहरण कर लिया जाय। प्रतिवेदन में विपक्षी का पता अंकित नहीं है जिससे की उन्हें नोटिस भेजा जा सके। अतः अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होने से संबंधित नोटिस का तामिला करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा थाना परिसर में रखे गये जप्त किरासन तेल को बिक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोमियां से समन्वय स्थापित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

27/09/16
समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

27/09/16
समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

188/2016
22/09/16
58, B. no
330 B. no
40/8 B. no
188/2016
24/09/16
182/2016 to 330 B.
24/09/16
for sending notice

28/09/16
विपक्षी अनुपस्थित है।
जी.गामीन पक्ष 0 अन्त मन्त्री के पत्र है।
To 28/09/16

16/10/16
विपक्षी अनुपस्थित।
जी.गामीन पक्ष 0 अन्त मन्त्री के पत्र।
To 16/10/16

16/10/16
विपक्षी अनुपस्थित।
जी.गामीन पक्ष 0 अन्त मन्त्री के पत्र।
To 20/10/17

20/10/17
विपक्षी अनुपस्थित।
अनुपक्ष 0, बोकारो (तेनुघाट) के पत्र - 08 (क)
दिनांक 17/10/16 से अनुपालन प्रतिवेदन प्रप्त है।
जी.गामीन पक्ष 0 अन्त मन्त्री के पत्र है।
To 17/10/17

आदेश क्र. क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
17/04/17	अनुपम. बारी (निष्पक्ष) के चरम - 08/0 दिने 17/12/2016 से अनुपम प्रतिनिध प्रप्त है विपक्षी अनुपम जीवामी पक्ष अनुपम बारी के वक्त To. 07/04/17	
07/04/17	विपक्षी अनुपम जीवामी पक्ष अनुपम बारी के वक्त To. 26/05/17	17/04/17 आप पक्ष
26/05/17	विपक्षी अनुपम 2nd party absent so order passed in default. Confirmed ordered Ray 26/5/17	70/04/17 SP. Bikaner SDO Bikaner (Amratal)